निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 57 / 2023
दायरा दिनांकः—06.09.2023
निर्णय दिनांकः— 23.4.25

उनवान

1. नवलकिशोर आयु 42 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी रींछडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कांति बाई आयु 45 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि बनवारी जाति ब्राहम्ण निवासी चावलखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. चन्दा आयु 70 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि कल्याणप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम परोलिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. नंदकिशोर आयु 33 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी रींछडा
4. रामदयाल आयु 65 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी रींछडा
5. जगन्नाथ आयु 72 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रींछडा
6. रामस्वरूप आयु 67 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रींछडा
7. लड्डु आयु 42 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रींछडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छवडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 23.4.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राजेश भार्गव — प्रार्थी
2. श्री राजेश लोधा — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैत्रिक आराजी खाता संख्या 133 की खसरा नंबर 132 / 3 रकबा 0.1265 है०, खसरा नंबर 138 / 1 रकबा 0.0253 है०, खसरा नंबर 50 रकबा 0.0506 है०, खसरा नंबर 84 रकबा 0.0506 है० कुल किता चार रकबा 0.2530 है० भूमि वाके माल रींछड़ा तहसील छबड़ा में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1 / 5 निहित है। इसी तरह माल रींछड़ा तहसील छबडा की कृषि आराजी खाता संख्या 132 की खसरा नंबर 139 रकबा 1.6946 है०, खसरा नंबर 14 रकबा 4.2998 है०, खसरा नंबर 142 रकबा 0.0632 है०, खसरा नंबर 156 रकबा 0.8979 है०, खसरा नंबर 207 रकबा 0.0759 है०, खसरा नंबर 78

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

0.2150 है०, खसरा नंबर 81 रकबा 0.1265 है०, खसरा नंबर 83 रकबा 0.8094 है० फिता आठ रकबा 8.1823 है० भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/10 निहित । इसी तरह माल रीछड़ा तहसील छबड़ा की कृषि आराजी खाता संख्या 200 की खसरा नंबर 80 रकबा 0.5817 है0 भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/10 निहित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 त्ता 7 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजियात को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आए दिन सीमा विवाद के लिए लड़ाई–झगड़े होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने हिस्से की भूमियात का विकास नहीं कर पा रहा है एवं उक्त भूमियात संयुक्त खातेदारी में होने से सरकारी योजनाओं बैंक आदि का लाभ लेने से वंचित हो रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपने संयुक्त खातेदारी की आराजी को पृथक पृथक कराने का कई बार निवेदन किया। परंतु हर बार प्रार्थी को परेशान करने की गरज से टालमटोल करते रहे। अंतिम बार दिनांक 15.07.2023 को प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपने राजस्व रिकार्ड को पृथक–पृथक खाते कराने व तरमीम कराने हेतु निवेदन किया तो स्वयं चलकर खाता पृथक कराने से साफ इंकार कर दिया व नाराज होकर कहा कि हम कोई बंटवारा नहीं करेंगे, ना ही तुझे तेरे हिस्से की कृषि आराजियात उन्नत करने देंगे। तब मजबूरन प्रार्थी को न्यायालय की शरण लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही हुआ। जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रींछडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 133 नकल जमाबन्दी ग्राम रींछडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 132 नकल जमाबन्दी ग्राम रींछडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 200 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रींछडा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है उक्त आराजी को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आए दिन सीमा विवाद के लिए लडाई–झगडे होते रहतें है प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराना चाहता है अप्रार्थीगण विभाजन कराना नही चाहतें है तथा भूमि शामलाती खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थी अपनी भूमि को उपजाउ नही करा पा रहा है अप्रार्थीगण द्वारा अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहता है प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहतें है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की है भूमि शामलाती खातेदारी की होने से अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का कोई अधिकार नही है क्योंकि प्रत्येक इंच पर सह खातेदार का अधिकार है जब तक भूमि का विभाजन होकर अलग खातेदारी में दर्ज ना हो जावें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तथ्य हीन एवं सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आपसी सहमति से हुए बटवारे के आधार पर काश्त करतें चले आ रहे है प्रार्थी को भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नही किया जा रहा है ना ही प्रार्थी को कोई परेशान कर रहा है प्रार्थी द्वारा मन प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रींछडा तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 133 में प्रार्थी 1/5, 1/5 का सह खातेदार है नकल जमाबन्दी ग्राम रींछडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 132 एवं खाता संख्या 200 में प्रार्थी 1/10, 1/10 का सह खातेदार है विवादित आराजी शामलाती खातेदारी की है। दावा 53,188 आर0टी0एक्ट0 का है जो विचाराधीन है। इस स्तर पर प्रार्थी के अधिकारों का निस्तारण मूल वाद में किया जाना है वाद बहुलता एवं वाद विवाद को रोकने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षो को राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिती बनायें रखने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है उभय पक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 132/3 रकबा 0.1265 है0 खसरा नम्बर 138/1 रकबा 0.0253 है0 खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0506 है0 खसरा नम्बर 84 रकबा 0.0506 है0 खसरा नम्बर 139 रकबा 1.6946 है0 खसरा नम्बर 14 रकबा 4.2998 है0 खसरा नम्बर 142 रकबा 0.0632 है0 खसरा नम्बर 156 रकबा 0.8979 है0 खसरा नम्बर 207 रकबा 0.0759 है0 खसरा नम्बर 78 रकबा 0.2150 है0 खसरा नम्बर 81 रकबा 0.1265 है0 खसरा नम्बर 83 रकबा 0.8094 है0 खसरा नम्बर 80 रकबा 0.5817 है0 पर राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)